- वन्य प्राणियों द्वारा जन हानि /जनघायल किये जाने पर क्षतिपूर्ति (क्लिक करें)
- वन्य प्राणियों व्दारा निजी मवेशी/पशुओं को मारे जाने पर सहायता (क्लिक करें)
- वन्य प्राणियों द्वारा कृषकों की फसल नुकसानी करने पर क्षतिपूर्ति (क्लिक करें)
- तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना (क्लिक करें)
- अवैध शिकार /कटाई की सूचना देने पर पारिश्रमिक (क्लिक करें)
- लोक वानिकी माध्यम से ग्रामीणों एवं ग्राम पंचायतों की आय (क्लिक करें)
- ग्रामीणों को निस्तार सुविधायें (क्लिक करें)

¼ vr|y [kjk ½ Hkk-o-l s-
ou-vf/k-nf{k.k flouh

oU; ikf.k;k0nkjk tugkfu@tu?kk;y fd;s tkus ij {kfrifr

कोई भी व्यक्ति जिसे वन्यप्राणी व्दारा घायल/जनहानि की गई होएवं सक्षम शासकीय चिकित्सक व्दारा अथवा वन विभाग के सक्षम कर्मचारी/अधिकारी व्दारा प्रमाणित किया हो ।

1 ;kstuk dk Lo:i &

वन्यप्राणियों (सांप एवं गुहेरा को छोडकर) व्दारा किसी व्यक्ति पर हमला करने पर प्रभावित घायल अथवा मृत व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि सक्षम शासकीय चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर।

2 ;kstuk ds rgr ns; ykHk &

1. मृत्यु होने पर (जनहानि) – 100000(एक लाख रूपये तथा ईलाज पर हुआ व्यय)
2. घायल होने पर – 20000 (बीस हजार रूपये अधिकतम)
3. स्थाई रूप से अपंग होने पर – 75000 (पचहत्तर हजार रूपये एवं ईलाज पर हुआ व्यय)
4. जनघायल होने पर तात्कालिक सहायता राशि – 1000 रूपये
   (यह राशि कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावेगी)
5. मृत्यु होने पर तात्कालिक सहायता परिवारजनों को – 5000 रूपये
   (यह राशि कुल क्षतिपूर्ति राशि में समायोजित की जावेगी)

3 vko';d nLrkost &

घटना की सूचना मौखिक या सादे कागज में लिखित में दिया जाना आवश्यक है। जनहानि प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र भी आवश्यक । कोई भी व्यक्ति जिसे वन्यप्राणी व्दारा घायल/जनहानि की गई हो एवं सक्षम शासकीय चिकित्सक व्दारा अथवा वन विभाग के सक्षमकर्मचारी/अधिकारी व्दारा प्रमाणित किया हो ।

4 vkosnu fdls izLrqr djuk gS &

निकटस्थ वनाधिकारी को घटना के 48 घंटों के भीतर लिखितया मौखिक रूप से सूचना देना आवश्यक।

5 xr o"kZ @bl o"kZ dk y{; &

माह मार्च 2010 तक जनघायल प्रकरणों में 46102.00 रूपये का व्यय मुआवजा भुगतान हेतु किया गया है ।

¼ vrqy [kjk ½ Hkk-o-l-
ou-vf/k-nf{k.k flouh

oU; ikf.k;k 0nkjk futh eo'kh@i'kqvk dk ekj tku ij lgk;rk

1 ;ktuk dk Lo:i &

वन्यप्राणियों (सांप एवं गुहेरा को छोडकर) व्दारा निजी पशुओं की पशुहानि करने पर ।

2 ;ktuk d rgr n; ykHk &

पशुहानि होने पर 10ए000 (अधिकतम दस हजार रूपये) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 के अनुसार

3 vko';d nLrkot &

घटना की सूचना समीपस्थ वनाधिकारी को 48 घंटों के भीतर मौखिक या सादे कागज में लिखित में दिया जाना आवश्यक है । वन्यप्राणी के हमले से पालतू पशु की मृत्यु अथवा घायल होने पर उसकी पुष्टि सक्षम पशु चिकित्सक/वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी व्दारा किये जाने पर सहायता स्वीकृत की जाती है । मारे गये मवेशी/पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो तथा उसके शरीर पर किसी प्रकार का लेप नहीं किया गया हो या उसके घाव पर विष न भर दिया गया हो । मवेशी के मारे जाने की घटना का सत्यापन, वन विभाग के अधिकारी जो कम से कम वन परिक्षेत्र अधिकारी के पद का हो, व्दारा किया गया हो । साथ ही यह भी प्रमाणित किया गया हो कि मवेशी वन्यप्राणी व्दारा मारी गई है ।

4 vkonu fdl iLrr djuk g &

निकटस्थ वनाधिकारी को घटना के 48 घंटों के भीतर सादे कागज पर लिखित या मौखिक रूप से सूचना देना आवश्यक।

5 xr o"k @bl o"k dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में पशुहानि के प्रकरणों में मुआवजा भुगतान हेतु 102 प्रकरणों में 649906.00 रूपयो का भुगतान किया गया है ।

oU; ikf.k;k 0nkjk d"kdk dh Qly udlkuh dju ij {kfrifr

1 ;kstuk dk Lo:i &

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ।

2 ;kstuk d rgr n; ykHk &

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार वनक्षेत्र से 5 कि.मी. परिधि के कृषकों की फसल को वन्यप्राणियों व्दारा नुकसान पहुंचाने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है । फसल नुकसानी की सूचना राजस्व विभाग को दी जावे एवं राजस्व विभाग व्दारा फसल नुकसानी का निर्धारण कर भुगतान हेतु कलेक्टर व्दारा वनमण्डल अधिकारी को संसूचित किये जाने पर भुगतान किया जाता है ।

3 ;kstuk grq vkonu dk rjhdk ,oa mlds lkFk vko';d nLrkost &

वनक्षेत्र से 5 कि.मी. परिधि में आनेवाले प्रभावित कृषक वन्यप्राणी व्दारा फसल नुकसानी की सूचना लिखित में निकटस्थ राजस्व अधिकारी को दे सकते हैं ।राजस्व विभाग व्दारा फसल नुकसानी का आंकलन किया जाता है ।

4 vkonu fdlls iLrr djuk g &

निकटस्थ राजस्व अधिकारी को घटना के 48 घंटों के भीतर लिखितया मौखिक रूप से सूचना देना आवश्यक।

5 xr o"kl @bl o"kl dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में वन्यप्राणियों व्दारा फसल नुकसानी के 03 प्रकरणों में कलेक्टर सिवनी से प्राप्त अनुशंसा के अनुसार 24 आवेदकों को 50550 रूपये का मुआवजा भुगतान किया गया है ।

(नोट :– इन योजनाओं के तहत मार्च 2010 तक कुल 7,46558.00 रूपये का भुगतान संबंधितों को किया जा चुका है ।)

¼ vrqy [kjk ½ Hkk-o-l-
ou-vf/k-nf{k.k flouh

rsanwiRrk laxzkgdksa ds fy;s lkekftd lqj{kk lewg chek ;kstuk

1 ;kstuk dk Lo:i &

मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ व्दारा क्रियान्वित ।

2 ;kstuk ds rgr ns; ykHk &

सामान्य मृत्यु की दशा में 3500 रूपये, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने की दशा में 25000 रूपये तथा दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता होने पर 12500 रूपये एवं पूर्ण विकलांगता की दशा में 25000 रूपये देय होगा ।

3 vkosnu ds lkFk vko';d nLrkost &

तेंदूपत्ता सग्राहक जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य हो । वह निम्नानुसार दस्तावेजों के साथ आवेदन करें ।

1. नामांकन पत्र (प्रपत्र 1)
2. मृत्यु दावा पत्र (प्रपत्र दो–अ)
3. विमुक्ति पत्र (प्रपत्र दो–अ)
4. प्राथमिक वनो. सह. समिति के अधिकृत अधिकारी व्दारा प्रमाणपत्र
5. नगरपालिका/ग्राम पंचायत व्दारा निर्धारित प्रारूप में जारी मृत्यु प्रमाण पत्र ।
6. दुर्घटनावश मृत्यु होने पर (अ) पुलिस एफआईआर या पंचनामा रिपोर्ट एवं (ब) पुलिस अंतिम रिपोर्ट (कनक्लूजन रिपोर्ट) की प्रमाणित प्रति ।
7. दुर्घटनावश विकलांग होने पर स्थानीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र ।

4 vkosnu fdlds iLrqr djuk gS &

संबंधित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के अध्यक्ष या प्रबंधक के कार्यालय में /वनसमिति के कार्यालय में।

5 xr o"kZ @bl o"kZ dk y{; &

वित्तीय वर्ष 2009–10 में1042 प्रकरणों में से 463 में 1749500.00 रूपये का भुगतान किया गया शेष 579 प्रकरण भा.जी.बी.नि. जबलपुर में लंबित हैं ।

¼ vrqy [kjs ½ Hkk-o-l-
ou-vf/k-nf{k.k flouh

vo/k f'kdkj @ dVkbl dh lpuk nus ij ikfjrkf"kd

वनों की अवैध कटाई / वन्यप्राणियों के अवैध शिकार की सही सूचना देने पर सूचनादाता को नाम गोपनीय रखते हुये पारितोषिक दिया जाता है । मार्च 2010 तक विभिन्न सूचनादाताओं को 8000 रूपये का भुगतान किया जा चुका है । सूचना वन विभाग व्दारा संचालित टोल फ्री नंबर 155312 पर सीधे बीएसएनएल के फोन से दी जा सकती है ।

¼ vrqy [kjk ½ Hkk-o-l-
ou-vf/k-nf{k.k flouh

ykd okfudh dk ek/;e ls xzkeh.kks ,oa xzke iapk;rks dh vk;

निजी तथा राजस्व भूमि पर खडे वनों तथा पडती भूमि पर रोपण कर वैज्ञानिक प्रबंध योजना बनाकर उत्पादकता बढाकर भूमिस्वामी और ग्राम पंचायत नियमित आय कमा सकते हैं ।

निजी भूमि पर खडे वनों तथा वृक्ष आच्छादित राजस्व क्षेत्र की वैज्ञानिक प्रबंध योजना भूमिस्वामी/ग्राम पंचायत बनाकर व संबंधित वनमण्डलाधिकारी से स्वीकृत कराकर क्रियान्वयन कर सकते हैं तथा वानिकी के अंतर्गत वनों का संवहनीय विदोहन कर आय कमा सकते हैं ।

xkeh.kk dk fuLrkj lfo/kk;

वनक्षेत्र की सीमा से 05 किलोमीटर की परिधि के ग्रामवासियों को मध्यप्रदेश शासन की निस्तार नीति अनुसार रियायती दर पर मकान की टूट–फूट/मरम्मत हेतु वनोपज उपलब्ध कराई जाती है । इसके लिये ग्राम पंचायत व्दारा प्रमाणित करने पर उपलब्धता अनुसार नजदीकी डिपो से वनोपज दी जाती है । साथ ही स्वयं के उपयोग के लिये वनों से सिरबोझ व्दारा गिरी पडी, मरी सूखी लकडी निःशुल्क लाने की सुविधा है ।